

दवा मूल्यों पर कंपनियों की आपत्ति खारिज

बिजनेस भास्कर ► नई दिल्ली...

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स (डीओपी) ने वॉकहार्ट, सन फार्मा, पैनेसिया बॉयोटेक सहित कई दवा कंपनियों की दवा कीमतों को लेकर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इन कंपनियों ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 2013 के तहत तय की गई अपनी दवाओं की अधिकतम कीमतों (सीलिंग प्राइस) को चुनौती दी थी। डीओपी ने इन मामलों में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को इन दवाओं की कीमतें तय करने में इस्तेमाल किए गए आंकड़ों को रिवैलिडेट करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी सूचनाएं वेबसाइट और दूसरे सार्वजनिक माध्यमों पर भी डालने को कहा गया है।

डीओपी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सन फार्मास्युटिकल ने एनपीपीए द्वारा ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर 2013 के तहत तय की गई शेड्यूल्ड दवा की कीमतों को चुनौती दी थी। विभाग ने इस मामले में याचिका पर सुनवाई करने के बाद एनपीपीए से उन आंकड़ों को रिवैलिडेट (फिर से पुष्टि) करने को कहा है जिसके आधार पर इन दवाओं की कीमतें तय की गई हैं। इसके लिए एनपीपीए को दवाओं से जुड़े आंकड़े वेबसाइट या

क्या है मामला

वॉकहार्ट व सन फार्मा सहित कई कंपनियों ने अपनी दवाओं की तय अधिकतम कीमतों को पुनर्विचार याचिका में दी थी चुनौती

दूसरे सार्वजनिक माध्यमों पर डाल कर व्यापक सर्वे करने को कहा गया है। इसी तरह पैनेसिया बॉयोटेक ने शेड्यूल्ड ड्रग ओरल पोलियोमिलेटिस वैक्सीन सोल्यूशन की कीमत को चुनौती दी थी। इस मामले में भी डीओपी ने एनपीपीओ को जानकारी वेबसाइट या दूसरे सार्वजनिक माध्यम पर डाल कर आंकड़े रिवैलिडेट करने को कहा है।

दवा निर्माता कंपनी यूनिकेम लैबोरेटरीज ने अपनी कई दवाओं की कीमतों को चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई के बाद डीओपी ने एनपीपीए को आंकड़े रिवैलिडेट करने को कहा है। इसके तहत एनपीपीए आईएमएस हेल्थ के आंकड़े वेबसाइट पर डाल सकता है।

एनपीपीए वेबसाइट के माध्यम से दूसरे स्रोतों से भी सूचनाएं 15 दिन में मंगा कर रिवैलिडेशन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसी तरह वॉकहार्ट सहित दूसरी कंपनियों ने भी अपने उत्पादों की अधिकतम कीमतों को चुनौती दी थी।